राष्ट्रीय संस्करण

महिला दिवस पर टी-20 विश्व विजेता बनने उतरेगी भारतीय टीम >> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 269

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 6 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

रक्त से बनाया जा सकेगा दांत और जबड़ा

वाराणसी : दांत टूट गए हों या हड्डी गल गई हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब इसे आपके खून से ही तैयार किया जाएगा। बीएचयू के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के डॉ. रोमेश सोनी और उनकी टीम ने मरीज के खून से प्लेटलेट रिच फाइब्रिन मेम्ब्रेन बनाने की तकनीक पर शोध किया है। (पेज-10)

जागरण विशेष

सिलीगुड़ी के युवा ने बनाया अर्थक्वेक अलार्मिंग सिस्टम

सिलीगुड़ी : 12वीं पास सिलीगुड़ी के सुब्रतो पाल ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि भूकंप आने के पहले अलार्म बजाकर सचेत कर देगा। साथ ही होने वाले नुकसान को बचाने में कारगर होगा। इसका नाम है अर्थक्वेक अलार्मिंग सिस्टम। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

हर्ष मंदर केस में हिंसा पीड़ित नहीं बन सकते पक्षकार : कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर के मामले में हिंसा पीड़ितों को पक्षकार बनाए जाने का अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्विस आग्रह ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा, वह उन्हें मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देंगे। हर्ष मंदर द्वारा कोर्ट पर टिप्पणियों के मामले में कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड

नई दिल्ली : उत्तर भारत में पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में जहां बर्फबारी हुई वहीं निचले इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। इसका असर एनसीआर के अलावा, उप्र, हरियाणा, मप्र और पंजाब में भी दिखाई दे रहा है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

पीएफ पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुशंसा

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर 8.50 फीसद ब्याज दर की अनुशंसा की है। पिछले वित्त वर्ष में पीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज दिया गया था। अगर ईपीएफओ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो सात वर्षों में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) जमा पर यह सबसे कम दर होगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अमेरिका में एच-1बी वीजा का हर पांचवां आवेदन खारिज

वाशिंगटन : अमेरिका ने पिछले साल एच-1बी वीजा के लिए दाखिल किए गए हर पांचवें आवेदन को खारिज कर दिया। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इन कंपनियों के आवेदनों को अस्वीकार करने की दर सबसे ज्यादा रही। यह वीजा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है।

रैपिड रिस्पांस टीम रखेगी कोरोना पर नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस की बढ़ती दस्तक के बीच सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इससे निपटने के लिए तत्काल रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करने को कहा है। इनकी जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने और संदिग्ध मामलों का पता लगाने की होगी। इस बीच, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक देश में 30 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जिनमें से तीन मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संसद के दोनों सदनों को देश में कोरोना के हालात व इससे निपटने की दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

देश को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सरकार हरसंभव व्यवस्था में लगी है। इसके तहत राज्यों को जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने को कहा गया है। इन टीमों की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के कोरोना से ग्रसित पाए जाने पर उसके तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों को इससे आगाह करने और वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखने की होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक भी की। बैठक में इन राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिवों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन के सचिव और बीएसएफ और एसएसबी के महानिदेशक भी मौजूद थे। बैठक में सीमा पर चेकपोस्ट पर आने वालों के लिए अनिवार्य स्क्रीनिंग की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने सभी चेकपोस्ट पर डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

सरकार सक्रिय

- गाजियाबाद में सामने आया एक और मामला, अब तक 30 संक्रमित
- राज्यों को जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर टीमें बनाने को कहा गया
- इटली और दक्षिण कोरिया से आने वालों को देना होगा कोरोना का जांच प्रमाण पत्र

गाजियाबाद के एक व्यक्ति के कोरोना से ग्रसित पाए जाने की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह व्यक्ति पिछले दिनों ईरान से लौटा था। इस व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की भी पहचान कर निगरानी शुरू कर दी गई है। सरकार ने इटली और दक्षिण कोरिया से आने वालों के लिए कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। वहां गए किसी भी भारतीय को वापस

गुरुवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री हर्षवर्धन। एएनआइ

आने के पहले वहां स्थित अधिकृत टेस्टिंग सेंटर से कोरोना की जांच की रिपोर्ट लगानी होगी और रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी। 10 मार्च की आधी रात से यह प्रावधान लागू हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमण इटली से ही हुआ है। इटली के 16 पर्यटकों और उनके एक ड्राइवर के अलावा दिल्ली का ग्रसित व्यक्ति भी इटली से आया था और उससे आगरा के उसके छह रिश्तेदारों को भी संक्रमण हो गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान में गुरुवार शाम से टेस्टिंग सेंटर चालू होने की जानकारी दी।

अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं मरीज

- दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 10 मरीजों का इलाज हो रहा है, इनमें दिल्ली और गाजियाबाद के एक-एक, आगरा से लाए गए छह और इटली के पर्यटकों के साथ रहने वाला ड्राइवर शामिल है
- गुरुग्राम के मेदांता में 14 इतालवी पर्यटकों का इलाज हो रहा है
- जयपुर के अस्पताल में दो इतालवी पर्यटकों का इलाज हो रहा है
- एक व्यक्ति का तेलंगाना के हैदराबाद स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है

निजी अस्पतालों को भी तैयार रहने का निर्देश : केंद्रीय वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली व एनसीआर के निजी अस्पतालों को भी कोरोना के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाने और इलाज के लिए जरूरी दवाओं व अन्य साजो-सामान रखने को कहा। (पेज-5 भी देखें)

ताजा घटनाक्रम

- दिल्ली के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त, प्राइवेट, एमसीडी और एनडीएमसी के प्राथमिक स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे
- राजस्थान में इटली के पर्यटकों के संपर्क में आए 68 लोगों में वायरस की पुष्टि नहीं, आठ के नतीजों का इंतजार
- सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में दवाओं और दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल की कोई कमी नहीं है
- राष्ट्रपति भवन ने मुगल गार्डन को एक दिन पहले यानी शनिवार से ही बंद करने का एलान किया है। इस साल राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली मिलन कार्यक्रम भी नहीं होगा

बजट सत्र से सात कांग्रेस सदस्य निलंबित

कार्रवाई ▶ स्पीकर की मेज से कागज फाड़कर उड़ाया था, बिरला दो दिनों से नहीं आ रहे सदन

कांग्रेस ने कहा-तानाशाही फैसला कर बात रखने से नहीं रोक सकते

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजमोहन उन्नीथन | मणिकम टैगोर | बेनी बेहन | डीन कुरीकोस | टीएन प्रथपन | गौरव गोगोई | गुरजीत सिंह

संसद में लगातार हो रहे अमर्यादित आचरण और धक्का-मुक्की की घटनाओं के बीच लोकसभा ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। कागज फाड़कर अध्यक्ष के आसन की ओर उछालने वाले कांग्रेस के सात सदस्यों को बजट सत्र के बाकी बचे काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह सत्र तीन अप्रैल तक है। कांग्रेस ने जहां इस कार्रवाई को सरकार का प्रतिशोध करार दिया है। वहीं भाजपा गौरव गोगोई की सदस्यता निरस्त करवाना चाहती है। दरअसल गोगोई ने ही अध्यक्ष के आसन से ही कागज लेकर उसे फाड़कर उछाल दिया था। स्पष्ट है कि शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों का रुख थोड़ा और उग्र होगा।

लोकसभा से कांग्रेस के जिन सात सदस्यों के निलंबन का आदेश दिया है, उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रथपन, डीन कुरीकोस, आर उन्नीथन, मनिकम टैगोर, बेनी बेहन और गुरजीत सिंह औजला का नाम शामिल है। ध्यान रहे कि सदन के अंदर पिछले दिनों जिस तरह का माहौल रहा है, उससे व्यथित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दो दिनों से सदन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को पीठासीन मीनाक्षी लेखी ने यह आदेश सुनाया। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया और उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ध्यान रहे कि दो दिन पहले लोकसभा में सत्तापक्ष-विपक्ष में भिड़ंत की स्थिति बन गई थी। गुरुवार को जब सरकार की ओर से सदन में माइन्स एंड मिनरल बिल पेश किया गया था तब राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के सदस्य हंगामा कर रहे थे। दरअसल बेनीवाल ने गांधी परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसे पीठासीन अध्यक्ष ने कार्यवाही से हटा दिया था। सरकार के खिलाफ नारों के बावजूद जब विधेयक पर संबंधित मंत्री बयान देते रहे तो गौरव गोगोई ने अध्यक्ष की मेज से ही पेज उठाकर फाड़ डाला। उस वक्त आसन पर रमा देवी मौजूद थीं।

गतिरोध देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो आसन ने सात सदस्यों को निलंबित कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि सदस्यों की अनुशासनहीनता की जांच के लिए समिति बनाई जाए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे तानाशाही फैसला बताया और कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए यह शर्मिंदगी का दिन है। कांग्रेस सात सदस्यों को उस समय निलंबित किया गया, जब वह सदन में दिल्ली दंगों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। यह स्पीकर का नहीं सरकार का प्रतिशोधात्मक फैसला है। गोगोई ने ट्वीट किया-भले ही मुझे एक साल के निलंबित कर दो लेकिन तत्काल दिल्ली दंगे पर चर्चा कर लो।' सरकार का कहना है कि चर्चा होली के बाद की जाए ताकि तनाव न बढ़े।

नायडू बोले, यह संसद है,बाजार नहीं : राज्यसभा अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू ने दिल्ली दंगों पर लगातार दिनों तक हंगामे को देखते हुए गुरुवार को कहा कि यह संसद है, बाजार नहीं है। इसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया।

यस बैंक पर माह भर की पाबंदी, निकासी सीमा 50,000 रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रमोटरों की लड़ाई और गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध गुरुवार रात आठ बजे से 30 दिनों तक लागू होगा। इस बीच इसके नए प्रबंधन की व्यवस्था होगी। यस बैंक के मौजूदा निदेशक बोर्ड को भी 30 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस दौरान बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक 50 हजार से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकेंगे।

उधर, खबर है कि एसबीआइ व एलआइसी की अगुआई में वित्तीय संस्थानों को यस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी हस्तांतरित की जा सकती है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के बाद यह देश का दूसरा बैंक है जिसके प्रबंधन को खराब वित्तीय हालात की वजह से निरस्त किया गया है।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यस बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब हो रही थी। बैंक जरूरत के मुताबिक फंड जुटाने में विफल रहा है। ऐसे में इसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बन रही थी। प्रतिबंध लगने की वजह से यस बैंक ना तो कर्ज देगा और ना ही जमा स्वीकार करेगा और ना ही अन्य कोई वाणिज्यिक गतिविधि में हिस्सा लेगा। हालांकि कर्मचारियों को वेतन सामान्य तरीके से दिया जाता रहेगा। आरबीआइ ने खाताधारकों को भरोसा दिलाया है कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसलिए प्रतिबंध सिर्फ 30 दिनों का लगाया गया है।

- निरस्त किया गया निदेशक बोर्ड, नये प्रशासक की नियुक्ति
- खाताधारकों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी : आरबीआइ

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यस बैंक में सुधार की उसकी कोशिशें विफल हो गई हैं, तभी पाबंदी का फैसला किया गया है। ताकि दूसरे विकल्प तलाशे जा सकें। इसके पूर्व आरबीआइ ने 2019 में शहरी सहकारी बैंक पीएमसी के प्रबंधन को निरस्त किया था। उसके कुछ महीने पहले डीएचएफएल के बोर्ड को भी निरस्त किया था।

एनपीआर और जनगणना का कार्य एक अप्रैल से होगा शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के सिलसिले में तैयारियों का काम पूरी तेजी पर है। पूरे देश में एक अप्रैल से दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और ये 30 सितंबर तक चलेंगी। जनगणना अभियान के लिए नियुक्त निदेशकों के सम्मेलन के बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की।

- निदेशकों के सम्मेलन के बाद गुरुवार को गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की
- दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और ये 30 सितंबर तक चलेंगी।

मंत्रालय ने बताया है कि मकानों को सूचीबद्ध करने का कार्य इन दिनों चल रहा है। गुरुवार को हुए सम्मेलन में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई और उस पर संतोष व्यक्त किया गया। सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें 2011 की जनगणना के बाद न्यायाधिकार में हुए बदलावों और वैधानिक कस्बों व जनगणना कस्बों को अंतिम रूप देना शामिल है। शहरी संकुलन, विशेष शुल्कों का सृजन और बर्फबारी वाले इलाकों, राज्य और जिलास्तर पर जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर से प्रस्तुतिकरण भी दिए गए। इनसे इतर बाकी राज्य इसके लिए तैयारियों की स्थिति पर शुक्रवार को प्रस्तुतिकरण देंगे।

उल्लेखनीय है कि एनपीआर को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। सरकार के बार बार समझाने के बाद भी इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में लोग खासकर मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के चलते कुछ स्थानों पर हिंसा भी हुई है।

समर्पण करने पहुंचा ताहिर हुसैन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली दंगे के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो के जवान अंकित शर्मा की हत्या व अन्य मामलों में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को क्राइम ब्रांच ने आखिर गिरफ्तार कर लिया। ताहिर ने गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में समर्पण के लिए अर्जी दायर की, जो खारिज हो गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट परिसर से उसे धर दबोचा।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने ताहिर की अर्जी को खारिज करते हुए कहा, अर्जी उसी अदालत में दायर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। चूंकि केस दयालपुर थाने में दर्ज है और वह कड़कड़डूमा कोर्ट के अधीन है, इसलिए वह राहत नहीं दे सकते। ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने कहा कि याची की जान को खतरा है, इसलिए कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दायर नहीं की गई। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ जो भी केस

दिल्ली दंगे का दागी

- आइबी जवान अंकित शर्मा की हत्या का है आरोप, अदालत ने खारिज की आत्मसमर्पण के लिए अर्जी

आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत में पेशी के लिए ले जाती दिल्ली पुलिस। प्रेट्र

दर्ज किए हैं, उनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। उसे गलत फंसाया गया है। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए वह समर्पण करना चाहता है। इस पर जज ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी अदालतों का अधिकार क्षेत्र तय किया हुआ है। वैसे भी यह अदालत सिर्फ सांसदों और विधायकों से संबंधित केस सुनने के लिए है। याची न तो सांसद है और न ही विधायक। इसलिए अर्जी को खारिज किया जाता है।

ताहिर बोला, हर तरह की जांच के लिए तैयार : कोर्ट में समर्पण से पूर्व ताहिर गुरुवार को एक टीवी चैनल के सामने आया। उसने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सफाई दी। भाजपा पर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, वह नार्को टेस्ट समेत हर तरह की जांच को तैयार है। अंकित की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। ताहिर ने कहा कि वह खुद दंगा पीड़ित है और पूरी तरह से बेकसूर है। दंगाइयों के डर से 24 फरवरी को वह परिवार के साथ घर छोड़कर भाग गया था। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई थी। पुलिस ने उसकी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वहां क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, कमलनाथ का बढ़ा संकट

भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर छाया सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट फिर गहरा गया है। निर्दलीय विधायकों के आक्रामक तेवर व कांग्रेस नेताओं को उनकी ओर से दी जा रही चेतावनी ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सीएम खुद नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। (पेज-4)

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पर मनी लांड्रिंग का केस

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई बुधवार को दिनभर नरेश गोयल के मुंबई स्थित ठिकानों पर तलाशी अभियान के बाद की है। पुलिस ने मुंबई की ही एक ट्रैवल कंपनी के साथ धोखाधड़ी के मामले में गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया था। (पेज-7)

बड़ी मुहिम

एक अप्रैल से देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में छिड़ेगी मुहिम नारकोटिक्स ब्यूरो, स्वास्थ्य संगठन और एनजीओ चलाएंगे साझा अभियान

देशभर के युवा ड्रग्स को कहेंगे बाय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को इससे बचाने के लिए सरकार अब देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी मुहिम छेड़ेगी। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। इसमें देशभर के सभी नारकोटिक्स ब्यूरो, स्वास्थ्य संस्थान और इस क्षेत्र में काम करने वाले गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल होंगे। फिलहाल इसे लेकर सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कार्ययोजना मांगी है जिसे 20 मार्च तक सभी को देना है।

नशे के खिलाफ इस मुहिम को छेड़ने की यह योजना तब बनाई गई है जब देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्रों के नशे में लिप्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब इसके खिलाफ पूरे देश में मुहिम छेड़ने जा रही है। इसकी कार्ययोजना बना ली गई है। साथ ही इस पूरी मुहिम को 'से नो टू ड्रग्स' (ड्रग्स को कहिए न) नाम दिया गया है। यूजीसी ने भी इसे लेकर निर्देश दिया है। साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नशे के खिलाफ समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें छात्र संगठनों को भी अहम भूमिका दी गई है, जिसमें वह नशे की बुरी तल में फंसे छात्रों की पहचान करेंगे। साथ ही उनकी काउंसलिंग करके उनके उपचार पर भी काम करेंगे। दरअसल, एम्स दिल्ली की मदद से इस संदर्भ में देशभर में एक सैंपल सर्वे कराया गया था। इसमें नशे में लिप्त लोगों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस रिपोर्ट में देश के करीब 28 करोड़ लोगों को किसी न किसी नशे में लिप्त पाया गया था। इनमें करीब छह करोड़ ऐसे भी लोग थे जो गंभीर रूप से इसकी गिरफ्त में थे और जिन्हें तुरंत उपचार की जरूरत बताई गई थी।

प्रतीकात्मक

इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों को चुना

इस मुहिम को उच्च शिक्षण संस्थानों से शुरू करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि युवाओं की एक बड़ी आबादी इन संस्थानों से जुड़ी है। वैसे भी सरकार का फोकस इन्ही युवाओं पर है जिन्हें वह ड्रग्स से दूर रखना चाहती है। साथ ही जिन्हें यह तल लग चुकी है, उन्हें इससे निकालना भी है। सरकार का मानना है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ यह मुहिम सफल रही तो पूरे देश को इससे मुक्ति दिलाई जा सकेगी। देश में मौजूदा समय में 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय और करीब 50 हजार कॉलेज मौजूद हैं।

निर्भया के दोषियों के लिए चौथा डेथ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चारों दोषियों की फांसी अब 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे के लिए मुकर्रर की गई है। पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर गुरुवार को चौथा डेथ वारंट जारी किया। अदालत ने कहा, दोषियों के पास अब कोई न्यायिक विकल्प शेष नहीं है। दोषी मुकेश के वकील ने भी कहा, वह अपने सभी विकल्प पूरे कर चुके हैं। चूंकि फांसी सूर्योदय से पहले दी जाती है, इसलिए सुबह साढ़े पांच बजे का समय तय किया गया है।

बीते दो मार्च को अदालत ने दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय के खिलाफ तीन मार्च के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगा दी थी, क्योंकि पवन की दया याचिका विचाराधीन थी। बुधवार को याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार ने अर्जी दायर कर नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान पवन के वकील एपी सिंह ने कहा, उन्हें मीडिया के जरिये पता चला कि आज सुनवाई है। इसलिए डेथ वारंट जारी न कर उन्हें कुछ समय दिया जाए। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आरटीआइ दायर कर दया याचिका खारिज करने के तर्क जानने हैं। पोस्ट मर्सी पिटिशन भी दायर करनी है। संविधान ने दो दया याचिका दायर करने का हक दिया है।

निर्भया दुष्कर्म कांड के दोषी (ऊपर बाएं से) अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता, (नीचे बाएं से) मुकेश सिंह व विनय शर्मा की फाइल फोटो। प्रेट्र

20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे दी जाएगी फांसी

मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फाइनल वारंट होगा। जब चारों फांसी पर लटक जाएंगे, तभी शांति मिलेगी। - निर्भया की मां

कुछ लोग दोषियों की हिरासत में हत्या पर उतारू हैं। उन पर टिप्पणियां कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दया याचिका पर गुमराह किया जा रहा है।

- एपी सिंह, पवन के अधिवक्ता

तथ्यों के अभाव में खारिज हुई थी अक्षय की पहली दया याचिका पेज>>6